गिरिश सिंह

बनाम

उतरांचल राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 849/2007)

09 मई, 200

(डा० अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम,जे.जे.)

दण्ड संहिता, 1860,ऐसे.एस.304 भाग-।। और 304 ए 1

आरोपी ने मृतक को पहाड़ी से धक्का दे दिया-मृतक की चोटों के कारण मृत्यु हुई-विचारण न्यायालय ने आरोपी को धारा 304 भाग-।।भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध करने का दोषी पाया और उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय द्वारा दण्डादेश की पुष्टि की गई-धारा 304 भाग-।।या धारा 304 ए-की प्रयोज्यता-निर्धारित किया गयाःऐसे प्रकरणों में जहां कि अभियुक्त का ना तो मृत्यु कारित करने का आशय रहा है और ना ही यह ज्ञान रहा है कि उक्त कृत्य से समस्त सम्भाव्य दशाओ में वह कार्य मृतक की मृत्यु कारित कर देगा, उन दशाओ में धारा 304 ए लागू नहीं होती है। इस प्रकरण में दोनों घटक अर्थात् मृत्यु कारित करने का आशय और ज्ञान अनुपस्थित नहीं था इसलिए धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकरण में लागू किए जाने योग्य नहीं है-विचारण न्यायालय ने उचित रूपसे अभियुक्त को धारा 304 भाग-।। भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को अभियुक्त/ अपीलार्थी और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ था। अपीलार्थी ने मृतक को एक पहाड़ी पर सड़क से धक्का दे दिया था जिससे उसे चोटें औई थी। पीडब्ल्यु 03 मृतका का भाई व पीडब्ल्यु 04 मृतक का बेटा जो उसके पीछे चल रहे थे, उसे अस्पताल ले गए जहां उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पीडब्ल्यु 03 ने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। पुलिस थाने में जांच पूर्ण होने पर पुलिस ने अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 304 भाग-।। के तहत दण्डनीय अपराध करने का दोषी पाया और पांच वर्ष के कारावास और जुर्माना जमा कराने की सजा सुनाई। दोषी द्वारा उक्त निर्णय के खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी इसलिए वर्तमान अपील की गई।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह निर्धारित किया-

1.1 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए उन मामलों में लागू होती है जहां मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है और यह ज्ञान भी नहीं है कि किया गया कार्य सभी सम्भाव्य दशाओं में मृत्यु कारित कर ही देगा। अतः यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 व 300 के दायरे के बाहर के अपराध से संबंधित है।(पैरा-8)(50-सी)

1.2 जब आशय या ज्ञान, किए गए आरोपित कृत्यु के लिए प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है तो धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता के पर अधिक गंभीर और संगीन आरोप के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। (पैरा-8)(50-ई)

1.3 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए मृत्यु कारित करने का ना तो आशय होना चाहिए और ना ही ज्ञान होना चाहिए। जब

इन दोनों तत्वों में से कोई भी तत्व उपस्थित पाए जाते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए लागू नहीं होती। (पैरा-9) (50-एफ)

2. जब कानूनी सिद्धांतों के आलोक की पृष्ठभूमि में इस प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाता है तो यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी के द्वारा रखा गया पक्ष एवं तर्क माने जाने योग्य नहीं है। (पैरा-10) (50-जी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 849/2008

आपराधिक जेल अपील संख्या 203/2006 में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.03.2006 से।

राधेश्याम शर्मा, (ए.सी.) अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की और से सुनील कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह और जतिंदर कुमार भाटिया

न्यायालय का निर्णय डा॰ अरिजीत पसायत के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में उतरांचल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया था। यह अपील उक्त अपीलार्थी द्वारा जिसे भारतीय दण्ड संहिता,1860 (संक्षेप में आई.पी.सी.)की धारा 304 भाग ।। के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और पांच वर्ष की कैद और 5000 रूपए का जुर्माना भरने की सजा अन्य सामान्य शर्तो के साथ सुनाई गई थी।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः

सगीर अंसारी(बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) एक बढ़ई था, जो उत्तरकाशी में होटल हरिओम में रहता था। दिनांक 27.03.2005 को वह हरिओम होटल से उत्तरकाशी शहर की और आ रहा था। अभियुक्त/अपीलार्थी गिरीश सिंह विपरीत दिशा से मृतक सगीर अंसारी की और आ रहा था। जब वे दोनों तांबाखानी के पास पहुंचे तो उनके बीच कुछ कहा-सुनी हो गई। अचानक आरोपी अपीलार्थी गिरीश सिंह ने मृतक सगीर अंसारी को सड़क से धक्का दे दिया। फलस्वरूप उत्तरकाशी-टिहरी मार्ग पर सगीर अंसारी पहाड़ी से नीचे गिर गए और घायल हो गए। घटना दोपहर एक बजे की है। मृतक के भाई पीडब्ल्यु 3 इसराइल मियां और मृतक के बेटे पीडब्ल्यु 4 मजहर अंसारी, जो सगीर अंसारी(मृतक) का पीछा कर रहे थे, ने इस घटना को देखा। दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए जहां उसने घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतक के भाई पीडब्ल्यु 3 इसराइल मियां ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्सटेंशन ए-3) दर्ज कराई। जांच की गई और जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया गया। जैसे ही अभियुक्त ने अपराध की दोषिता को अस्वीकार किया। उन पर मुकदमा चलाया गया।

4. दो चश्मदीद गवाहों इसरायल मियां (पीडब्ल्यु 3) और मजहर अंसारी(पीडब्ल्यु 4) (क्रमशः मृतक का भाई और बेटा)की साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाकर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उपरोक्तानुसार उसे सजा सुनाई गई।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अभियुक्त का तर्क यह था कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां धारा 304 भाग ।। भारतीय दण्ड संहिता लागू की जावे। उनके अनुसार यह एक ऐसा मामला है जहां भले ही अभियोजन की कहानी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए, यह अधिक से अधिक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए

के तहत दण्डनीय अपराध होगा। एक अन्य आक्षेप पीडब्ल्यु 3 और 4 की साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार करने से संबंधित है कि वे मृतक से संबंधित हैं। दोनों आक्षेप खारिज कर दिए गए और अपील खारिज कर दी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रूख को दोहराया।

6. जवाब में प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखे गए विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. रिश्तेदार की साक्ष्य से संबंधित आक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है। जब ऐसी साक्ष्य में विश्वसनीयता हो तो उस पर विचार करते समय विश्वास योग्य माना जाकर कार्यवाही की जा सकती है।

8. धारा 304-ए की प्रयोज्यता के संबंध में यह दलील दी गई है, किंतु यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त प्रावधान लापरवाही के कारण हुई मृत्यु से संबंधित है। धारा 304-ए उन मामलों पर लागू होती है जहां कि मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है और इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि किए गए कार्य के बारे में पूरी सम्भाव्यता है कि वह मृत्यु का कारण बनेगा। यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 व 300 के दायरे से बाहर के अपराधों से संबंधित है। यह केवलऐसे कृत्यों पर लागू होता है जो उतावलेपन और लापरवाही से किए जाते हैं और सीधे तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। धारा 304-ए के तहत उतावलेपन और लापरवाही आवश्यक तत्व है। यह एक विशिष्ट अपराध बनाता है जहां मृत्यु जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण होती है और वह कार्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या या धारा 300 के तहत हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई कार्य करना या यह जानते हुए कि कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सम्भावना है, मानव वध होता है।

जब इरादा या ज्ञान, किए गए कृत्य की प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के स्थान पर और अधिक गंभीर आरोपों के संबंध में विचार करना होगा।

9. धारा 304-ए के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए मृत्यु कारित करने का ना तो आशय होना चाहिए और ना ही इसका ज्ञान होना चाहिए। जब इन दोनों तत्वों में से कोई भी मौजूद पाया जाता है, तो धारा 304-ए लागू नहीं होती है।

10. जब उपरोक्त निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी के तर्क स्पष्ट रूप से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

11. अपील निराधार है, खारिज करने योग्य है, तद्नुसार आदेशित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशीष दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।